

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 49/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 अप्रैल, 2017, जिसे सा.का.नि. 343 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "मैसर्स कतर कैमिकल एंड पेट्रो कैमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कं. (मुंटाजट) क्यू.पी.जे.एस.सी. कतरी प्राईवेट ज्वाइंट स्टॉक कं." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "मैसर्स कतर कैमिकल एंड पेट्रो कैमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कं. (मुंटाजट) क्यू.पी.जे.एस.सी. कतरी प्राईवेट ज्वाइंट स्टॉक कं. और रेनिस पेट्रोकेम. एफजेई (ट्रेडर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फाइल संख्या 354/208/2016-टीआरयू (पार्ट-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को सा.का.नि. 343 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है।